न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2014/0048 (48/2014) 223 आरटीएक्ट

पूनमचन्द पुत्र श्री सत्यनारायण जाति जाट निवासी भिरानी तह. भादरा जिला हनुमानगढ। – अपीलान्ट

बनाम

1. शरबती पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तह. भादरा जिला हनुमानगढ।
2. हरीसिंह पुत्र सत्यनारायण जाति जाट निवासी भिरानी तह. भादरा जिला हनुमानगढ।
3. शंदोखी पुत्री सत्यनारायण पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी गठड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 10.07.2014 सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक, भादरा जिला हनुमानगढ प्रकरण संख्या 164/2013 पुनमचंद बनाम सरबती आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री नरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट रेस्पो0 सं0

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4

निर्णय दिनांक –07.01.2020

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। वाद पत्र में यह कथन करते हुए कि रौही मौजा भिरानी के साबिका खसरा नं. 179 की की 19 बीघा 8 बिस्वा खसरा सं0 184 की 24 बीघा 17 बिस्ववा, खसरा नं. 621 की 12 बीघा 15 बिस्ववा ख्यासरा नं. 355 की 64 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 659 की 23 बीघा 16 बिस्वा कुल 145 बीघा 13 बिस्वा खाम भूमि कुम्भा की खातेदारी कृषि भूमि थी, जो कुम्भा की मृत्यु के बाद सत्यनारायण को मिली।
2. उपरौक्त कृषि भूमि अन्य भूमि के अलावा चक नं. 5 जेएसएल के मु0 नं0 182 के किला नं. 12 ता 14, 17 ता 24 की 11 किला, मु0 नं0 189 के कि. नं. 5, 6 ता 9, 11 ता 18 की 12 किला मु. नं. 190 के किला नं. 1 ता 5, व 7 ता 14, 18 ता 20

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

की 15 किला कुल 38 किला व रौही मौजा भिरानी के मु0 नं0 360 के कि. नं. 5, 6, मु0 नं0 361 के किला नं. 1, 2, 3, 8, 9, 10 की 8 किला भूमि में परिवर्तित हुई। प्रश्नगत भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की पैतृक सम्पति होने से वादी व प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक व हिस्सा है वादी, प्रतिवादी सं0 2 हरीसिंह व सत्यनारायण तीनों ब.हिस्सा बराबर के यानि प्रत्यक 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए।

3. सत्यनारायण ने अपना 1/3 हिस्सा अपने जीवनकाल में हस्तान्तरित कर दिया उसकी मृत्यु के समय मु0 नं0 189 के कि0 नं0 5 ता 9, 12 ता 18 व मु0 नं0 190 के किला नं. 1,10, 11, 20 कुल 16 किला, रोही मौजा भिरानी के मु0 नं0 360 के कि. नं. 5, 6 मु0 नं0 361 के कि. नं. 1, 2, 3, 8, 9,10 कुल 8 किला चारों मुरब्बों की 24 किला भूमि बची थी। इस भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 हरीसिंह का ब.हि.बराबर था अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं था। सत्यनारायण की मृत्यु हो चुकी उसकी मृत्यु के बाद मद नं. 5 में वर्णित 5 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 के नाम ब.हि.ब. दर्ज हो गया। इस नामान्तरण के विरूद्ध प्रतिवादी नं. 1 ने अपील पेश किया कि सत्यनारायण ने 8 किला भूमि की वसीयत उसके नाम करवाई थी इस पर प्रकरण तहसीलदार भादरा को रिमाण्ड किया गया। सत्यनारायण ने अपने जीवनकाल में कभी भी 8 किला भूमि की वसीयत सरबती के पक्ष में नहीं करवाई है चूंकि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें सत्यनारायण का हिस्सा नहीं बचा था इसलिए वह वसीयत करवाने का कानूनी अधिकारी नहीं था इस प्रकार उक्त वसीयत अपनी वादी के मुकाबले अवैध, अकृत्य व शुन्य है। इस वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित भूमि का नामान्तरणकरण अपने पक्ष में करने पर उतारू है अगर वे लोग ऐसा करवाने में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी/अपीलाण्ट ने उक्त भूमि की वादी व प्रति वादी नं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातदार काश्तकार घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का अनुतोष मांगा तथा सत्यनारायण द्वारा प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में करवाई गई वसीयत वादी के मुकाबले अकृत्य व शून्य है का अनुतोष मांगा तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद भूमि के नामान्तरणकरण वसीयत क आधार पर दर्ज न करे।

4. प्रतिवादीगण ने जववाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया कि वादी को वाद का कोई कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है। वादीगण ने प्रथम वाद पुनम चंद बनाम सत्यनारायण आदि न्यायालय सहायक कलक्टर भादरा द्वारा दिनांक 19.04.2001 को खारिज हो चुका है इसलिए उसका यह वाद कानूनन चलने के काबिल नहीं है एवं रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त द्वारा बाधित है। वसीयतनामा दिनांक 29.12.1997 के विरूद्ध

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पुनमचन्द द्वारा सिविल न्यायालय भादरा में बअनवानी पुनमचन्द बनात सरबती वाद पेश किया गया था जो 28.04.2001 को खारिज फरमाया दिया गया था इसलिए वादी दूसरा वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की ई है सो उक्त आदेश अपने आप में अन्तिम हो चुका है व वादी के पक्ष में नामान्तरण संख्या 557/29.04.2002 को अपील सरबती बनाम पुनमचन्द आदि में निरस्त हो चुका है। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की गई इसलिए उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। वसीयतनामा दिनांक 29.12.1997 को जो प्रतिववादी सं0 1 के पक्ष में किया गया है जो सिविल न्यायालय का है इस प्रकार राजस्व न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। मुतनाजा सम्पति सत्यनारायण की स्वअर्जित खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 का किसी भी प्रकार से कानूनन बाई वर्थ राईट नहीं है।

5. वादीनी अपने नाम से निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 27.12.1997 द्वारा सत्यनारायण वल्द कुम्भा में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि चक 5 जेएसएल के मु. नं. 189 के किला नं. 5 से 7, किला नं. 15 की 1 बीघा मु. नं. 190 के किला नं. 1, 10, 11, 20 21 की 4 बीघा कुल 8 बीघा खातेदारी कृषि भूमि की बाबत अकेली खातेदार काश्तकार है जो कि अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी है। प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वाद दादी खारिज करने का कथन किया।
6. विचारण न्यायालय ने दावा एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर वाद वादीया खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
7. **उभयपक्ष की बहस सुनी गई।**
8. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रौही मौजा भिरानी 145 बीघा 13 बिस्वा खाम भूमि कुम्भा की खातेदारी कृषि भूमि थी, जो कुम्भा की मृत्यु के बाद सत्यनारायण को मिली। उपरौक्त कृषि भूमि अन्य भूमि के अलावा में परिवर्तित हुई। प्रश्नगत भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की पैतृक सम्पति होने से वादी व प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक व हिस्सा है वादी, प्रतिवादी सं0 2 हरीसिंह व सत्यनारायण तीनों ब.हिस्सा बराबर के यानि प्रत्यक 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए।
9. सत्यनारायण ने अपना 1/3 हिस्सा अपने जीवनकाल में हस्तान्तरित कर दिया उसकी मृत्यु के समय मु0 नं0 189 के कि0 नं0 5 ता 9, 12 ता 18 व मु0 नं0 190 के किला नं. 1,10, 11, 20 कुल 16 किला, रोही मौजा भिरानी के मु0 नं0 360 के कि. नं. 5, 6 मु0 नं0 361 के कि. नं. 1, 2, 3, 8, 9, 10 कुल 8 किला चारों मुरब्बों की 24 किला भूमि बची थी। इस भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 हरीसिंह का ब.हि.बराबर था अन्य

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किसी का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं था। सत्यनारायण की मृत्यु हो चुकी उसकी मृत्यु के बाद मद नं. 5 में वर्णित 5 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 के नाम ब.हि.ब. दर्ज हो गया। इस नामान्तरण के विरूद्ध प्रतिवादी नं. 1 ने अपील पेश की कि सत्यनारायण ने 8 किला भूमि की वसयीत उसके नाम करवाई थी इस पर प्रकरण तहसीलदार भादरा को रिमाण्ड किया गया। सत्यनारायण ने अपने जीवनकाल में कभी भी 8 किला भूमि की वसीयत सरबती के पक्ष में नहीं करवाई है चूंकि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें सत्यनारायण का हिस्सा नहीं बचा था इसलिए वह वसीयत करवाने का कानूनी अधिकारी नहीं था इस प्रकार उक्त वसीयत अपनी वादी के मुकाबले अवैध, अकृत्य व शुन्य है। इस वसीयत के आधार पर प्रतिवादीगण विवादित भूमि का नामान्तरणकरण अपने पक्ष में करने पर उतारू है अगर वे लोग ऐसा करवाने में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी/अपीलाण्ट ने उक्त भूमि की वादी व प्रति वादी नं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का अनुतोष मांगा तथा सत्यनारायण द्वारा प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में करवाई गई वसीयत वादी के मुकाबले अकृत्य व शून्य है का अनुतोष मांगा तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद भूमि के नामान्तरणकरण वसीयत क आधार पर दर्ज न करे का भी अनुतोष मांगा था।

10. तनकी नं. 1 व 2 का निर्णय बहक प्रतिवादी/रेस्पो0 इस आधार पर किया है कि प्रश्गनत भूमि पैतृक सम्पति नहीं है जबकि पैतृक भूमि होने के लिए अपीलाण्ट ने कथन किया कि 145 बीघा 13 बिस्वा भूमि कुम्भाराम की खातेदारी भूमि थी। जो जमाबंदी संख्या 2014 ग्राम भिरानी से साबित था। प्रश्नगत भूमि के अलावा काई भूमि स्वर्गीय सत्यनारायण के पास सम्वत 2014 से पर्वू होने से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। रेस्पो0 सं0 1 प्रतिवादिया ने जवाबदावा में यह अंकित किया था कि खसरा 179, 184, 621, खसरा नं. 665, 659 की कुल 145.13 बीघा भूमि कुम्भाराम की होना स्वीकार नहीं है व कुम्भाराम के फौत होने पर उक्त भूमि सत्यनारायण को मिलने सम्बन्धित कथनों से भी इन्कारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त कथन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के बिल्कुल विपरीत थे एवं सम्वत 2014 से पूर्च का प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित कोई दस्तावेज जो स्वर्गीय सत्यनारायण के नाम हो पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने एवं सत्यनारायण को आवंटित अथवा खरीद की गई होने का कोई रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने पर भी विचारण न्यायलाय द्वारा प्रश्नगत भूमि स्वर्गीय सत्यनारायण की स्वयं पैदाकरदा भूमि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मानने में अहम भूल की है। जहां तक खसरा मिलान क्षेत्रफल का प्रश्न है उसके लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया हुआ है जो मिला नहीं हैं।

11. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का पति है एवं स्वर्गीय सत्यनारायण का पुत्र है ने विचारण न्यायालय में जिरह में भूमि पैतृक होना स्वीकार किया है। सत्यनारायण ने अपने हक व हिस्सा की भूमि अपने जीवनकाल में विक्रय कर दी थी दस्तावेज बैयनामा पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया था ऐसी सूरत में स्वर्गीय सत्यनारायण को शेष प्रश्नगत भूमि में किसी हिस्सा को वसीयत अथवा अन्तरण करने का विधिक अधिकार नहीं था। ऐसी सूरत में स्वर्गीय सत्यनारायण की वसीयत प्रारंभतः ही शून्य है। हिस्सा से अधिक बेचान करने और हिस्सा ही नहीं होने से वसीयत निष्पादित करने का अधिकार नहीं होने के कारण उसका तनकी नं. 3 का निर्णय भी अपीलाण्ट के पक्ष में किया जाना चाहिए था। प्रस्तुत दस्तावेज में कुम्भाराम वल्द वीजा का नाम अंकित है एवं उसके फौत होने के बाद उनके पुत्रों का नाम अंकित किया गया है इस अंकन मात्र. से ही प्रश्नगत भूमि पैतृक होना साबित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जा कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे एससी 2013 पेज 331, आरआरटी 2015 पेज 100, आरआरटी 2015 पेज 474 एचसी के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

12. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रतिवादीगण ने जववाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया था कि वादी को वाद का कोई कॉज ऑफ एक्शन हासिल नहीं है। वादीगण ने प्रथम वाद पुनम चंद बनाम सत्यनारायण आदि न्यायालय सहायक कलक्टर भादरा द्वारा दिनांक 19.04.2001 को खारिज हो चुका है इसलिए उसका यह वाद कानूनन चलने के काबिल नहीं है एवं रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त द्वारा बाधित है। वसीयतनामा दिनांक 29.12.1997 के विरूद्ध पुनमचन्द द्वारा सिविल न्यायालय भादरा में बअनवानी पुनमचन्द बनात सरबती वाद पेश किया गया था जो 28.04.2001 को खारिज फरमाया दिया गया था इसलिए वादी दूसरा वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की ई है सो उक्त आदेश अपने आप में अन्तिम हो चुका है व वादी के पक्ष में नामान्तरण संख्या 557/29.04.2002 को अपील सरबती बनाम पुनमचन्द आदि में निरस्त हो चुका है। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की गई इसलिए उक्त आदेश अंतिम हो चुका है। वसीयतनामा दिनांक 29.12.1997 को जो प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में किया गया है जो सिविल न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का है इस प्रकार राजस्व न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। मुतनाजा सम्पति सत्यनारायण की स्वअर्जित खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 2 का किसी भी प्रकार से कानूनन बाई बर्थ राईट नहीं है। प्रतिवादीनी अपने नाम से निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 27.12.1997 द्वारा सत्यनारायण वल्द कुम्भ में वर्णित खातेदारी कृषि भूमि चक 5 जेएसएल के मु. नं. 189 के किला नं. 5 से 7, किला नं. 15 की 1 बीघा मु. नं. 190 के किला नं. 1, 10, 11, 20 21 की 4 बीघा कुल 8 बीघा खातेदारी कृषि भूमि की बाबत अकेली खातेदार काश्तकार है जो कि अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी है। वादी का वाद विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2012 दिल्ली पेज 220, एआईआर 2013 छतिसगढ पेज 187, सीसीसी 2012 (2) पेज 548, सीसीसी 2012 (2) पेज 435, आरआरडी 2002 पेज 689, राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 21.02.2018 बअनवानी हरलाल बनाम स्टेट के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

13. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

14. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का वाद अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था।

15. तनकी नं. 1 व 2 का निर्णय बहक प्रतिवादी/रेस्पो0 इस आधार पर किया है कि प्रश्गनत भूमि पैतृक सम्पति नहीं है जबकि प्रश्नगत भूमि 145 बीघा 13 बिस्वा भूमि कुम्भाराम की खातेदारी भूमि थी। जो जमाबंदी संख्या 2014 ग्राम भिरानी से साबित था। प्रश्नगत भूमि के अलावा काई भूमि स्वर्गीय सत्यनारायण के पास सम्वत 2014 से पूर्व से होने से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। रेस्पो0 सं0 1 जवाबदावा में यह अंकित किया था कि खसरा 179, 184, 621, खसरा नं. 665, 659 की कुल 145.13 बीघा भूमि कुम्भाराम की होना स्वीकार नहीं है व कुम्भाराम के फौत होने पर उक्त भूमि सत्यनारायण को मिलने सम्बन्धित कथनों से भी इन्कारी की है। प्रतिवादी ने इस भूमि को सत्यनारायण की स्वअर्जित भूमि बताया है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि सत्यनारायण की स्वअर्जित भूमि हो। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 जो कि स्वर्गीय सत्यनारायण का पुत्र है ने विचारण न्यायालय में जिरह में भूमि पैतृक होना स्वीकार किया है। सत्यनारायण ने अपने हक व हिस्सा की भूमि अपने जीवनकाल में विक्रय कर दी थी दस्तावेज बैयनामा पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया था ऐसी सूरत में स्वर्गीय सत्यनारायण को शेष प्रश्नगत भूमि में किसी हिस्सा को वसीयत अथवा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

अन्तरण करने का विधिक अधिकार नहीं था। ऐसी सूरत में स्वर्गीय सत्यनारायण की वसीयत प्रारंभतः ही शून्य है। हिस्सा से अधिक बेचान करने और हिस्सा ही नहीं होने से वसीयत निष्पादित करने का अधिकार नहीं था।

16. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रश्गनत भूमि सत्यनारायण की स्वअर्जित भूमि थी यह तथ्यों से साबित नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2014 एवं बैयनामा से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि स्वर्गीय कुम्भाराम से उनके पुत्रों को प्राप्त हुइ एवं सत्यनारायण ने बेयनामा के जरिये अपना हिस्सा विक्रय कर दिया। सत्यनारायण द्वारा वसीयत करवाई गई जो अपना हिस्सा बेचने के उपरान्त हिस्से से अधिक का बेचान किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्षों को पुनः सुनवाई को उक्त बिन्दूओं पर सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

17. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2014 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष दिनांक 24.02.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायायल का अभिलख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

18. निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.14 13:18:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: